प्रेस विज्ञप्ति
04.04.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मोलुगु विजई कुमार और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित 94.44 लाख रुपये की विभिन्न अचल संपत्तियों और 23.20 लाख रुपये की चल संपत्तियों(बैंक शेष के रूप में), कुल मिलाकर 1.17 करोड़ रुपये (लगभग) कुर्क किया ।

ईडी ने बॉयलर विभाग में संयुक्त निदेशक मोलुगु विजय कुमार,जो बॉयलर, टीएस, हैदराबाद के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहा था,के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) आर/डब्ल्यू 13(1) (ई) के तहत सीआईयू, भ्रष्टाचार निवारण शाखा, हैदराबाद द्वारा पंजीकृत प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। यह आरोप लगाया गया था कि उसने भ्रष्ट आचरण में लिप्त होकर अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। भ्रष्टाचार निवारण शाखा(एसीबी) द्वारा दायर चार्जशीट के अनुसार, मोलुगु विजई कुमार के पास 2.19 करोड़ रुपये की आय के ज्ञात स्रोतों से अनुपातहीन संपत्ति थी।।

ईडी जांच से पता चला कि मोलुगु विजई कुमार और उनके परिवार के सदस्यों ने विभिन्न अचल संपत्तियों में अपराध की आय का निवेश किया। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों की व्यावसायिक आय और विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त नकद ऋण के रूप में गलत तरीके से प्राप्त धन का शोधन किया | ईडी जांच से यह भी पता चला कि आरोपी ने कई ऐसे अचल संपत्तियों का निपटान किया,जिनकी एसीबी द्वारा जांच के दौरान पहचान और जब्ती के लिए आरोपपत्र में आवेदन किया गया था | इसके अलावा, आरोपी व्यक्तियों द्वारा अपने बैंक खातों से बड़ी मात्रा में नकदी निकालकर अपराध की आय को ठिकाने लगाने का दोषी पाया गया। इसलिए, जांच के दौरान मोलुगु विजई कुमार और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर जिन संपत्तियों की पहचान की गई थी ,उनकी अनंतिम रूप से धन शोधन निवारण अधिनियम , 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्की की गई |

आगे की जांच चल रही है।